

कार्यालय

मुख्य

अग्निशमन

अधिकारी

मुरादाबाद।

पत्रांक: प-5 / सीएफओ / एमडीडी-17

दिनांक: जुलाई 13, 2017

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)  
मुरादाबाद।

विषय: ग्राम चकफाजलर तहसील बिलारी जिला मुरादाबाद के खसरा संख्या: 82, कुन्दरकी पर भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० के प्रस्तावित रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) के निर्माण हेतु अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति आख्या के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: आपका पत्रांक: 289 / आबकारी सहायक / 2017 दिनांक: 29-06-2017।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक, सन्दर्भित पत्र के क्रम में जिसके द्वारा ग्राम चकफाजलर तहसील बिलारी जिला मुरादाबाद के खसरा संख्या: 82, कुन्दरकी पर भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० के प्रस्तावित रिटेल आउटलेट (पेट्रोलपम्प) के निर्माण हेतु अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति आख्या उपलब्ध कराने हेतु अपेक्षा की गयी है। उक्त के अनुपालन में अग्निशमन अधिकारी मुरादाबाद श्री आर०के० सिंह द्वारा स्थलीय निरीक्षण कराया गया उनकी आख्या दिनांक: 12-07-2017 के अनुसार आख्या निम्नवत् है :-

1-प्रश्नगत रिटेल आउटलेट के सामने 12 मीटर चौड़ाई का रोड उपलब्ध है जो मानको के अनुसार है।

2-प्रश्नगत स्थल के ऊपर से कोई विद्युत लाईन नहीं गुजर रही है।

प्रश्नगत रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु पेट्रोलियम एक्ट-1934 तथा उसके रूल्स के अनुसार अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी प्राविधान किये जाने अनिवार्य होंगे, जो निम्नवत् है :-

1-45 लीटर क्षमता की 02 अदद मैकेनिकल फोम ड्राली।

2-ए०बी०सी० टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 10 किग्रा० के 04 अदद।

3-नो स्मोकिंग बोर्ड स्थापित कराया गया है।

4-02-02 अदद सैण्ड फायर बकेट एवं वाटर बकेट स्थापित कराये गये हैं।

5-प्रश्नगत रिटेल आउटलेट के आस-पास अन्य कोई ज्वलनशील पदार्थ का भण्डारण नहीं है।

अतः प्रश्नगत पेट्रोल पम्प हेतु अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी प्रोविजनल अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति आख्या निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ निर्गत की जाती है:-

1-प्रश्नगत पेट्रोल पम्प सभी निर्माण कार्य पेट्रोलियम एक्ट-1934 एवं सम्बन्धित पेट्रोलियम रूल्स विषयक समय-समय पर यथा संशोधित विधियों एवं तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उल्लेखित विधि के अनुरूप।

2-प्रश्नगत पेट्रोल पम्प के ऊपर से किसी प्रकार हाई/लो टेशन विद्युत लाईन नहीं गुजारी जायेगी।

3-प्रश्नगत पेट्रोल पम्प परिसर में हाउस कीपिंग उच्च कोटि की होगी।

4-प्रश्नगत पेट्रोल पम्प पर मानचित्रों में दर्शाये गये पेट्रोल पदार्थों के अतिरिक्त अन्य कोई ज्वलनशील भण्डारण नहीं किया जायेगा।

5-प्रश्नगत पेट्रोल पम्प भण्डारण स्थल पर नियुक्त समस्त स्टाफ को प्राथमिक अग्निशमन यन्त्रों को चलाने की जानकारी के साथ ही अग्नि सुरक्षा नियमों की जानकारी होना आवश्यक है।

6-पेट्रोल पम्प पर किसी भी प्रकार के पदार्थों या स्थितियों आदि जो चिगारी आग उत्पन्न करते हैं का प्रयोग वर्जित होगा तथा इसमें समुचित उपाय उपलब्ध रखे जायेंगे।

7-भण्डारण स्थल पर विद्युत सुरक्षा व्यवस्था इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट एवं भारतीय मानक ब्यूरो के आई०एस०-1646:1982 तथा सम्बन्धित नियमों में निर्धारित मानकों के अनुसार कराई जानी अनिवार्य होगी।

Place - Meerut

Date - 18-05-2018

कृ०प०प०.....

कुमार अविनाश  
प्रादेशिक प्रयत्नक (रिटेल)  
भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड  
आबू का मकबरा, कंसर गंज  
मेरठ-250002 (उ०प्र०)

ATTESTED  
Manik Chandra Verma  
Advoc.  
Gazetted Officer  
Distt. Muzaffarnagar, Agr.  
Regd. No. 1694/2007

(2)

8-उपरोक्तानुसार स्थापित समस्त अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में रखा जायेगा।

अतः उपरोक्त शर्तों के अधीन प्रश्नगत रिटेल आउटलेट के निर्माण के उपरान्त उपरोक्तानुसार अग्निशमन उपकरणों को स्थापित कराये जाने की शर्त पर प्रश्नगत रिटेल आउटलेट हेतु अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति आख्या इस शर्त पर निर्गत की जाती है कि प्रश्नगत रिटेल आउटलेट के निर्माण के उपरान्त कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व अग्नि शमन विभाग से अन्तिम अनापत्ति प्रामाण पत्र प्राप्त करना होगा अन्यथा की स्थिति में निर्गत किया जा रहा अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

  
(बी०के० सिंह) 1317  
मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
मुरादाबाद

प्रतिलिपि:-अग्निशमन अधिकारी, मुरादाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Place - Meerut  
Date - 18-05-2018

  
कुमार अविनाश  
प्रादेशिक प्रबन्धक (रिटेल)  
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड  
आबू का मकबरा, केसर गंज  
मेरठ-250002 (उ०प्र०)

ATTESTED  
Manik Chandra Ve  
Adv.  
Gazetted Officer  
Distt. Notary, A  
Regd. No. 1694/200